राजस्व निगरानी पुनरीक्षण प्र.क्र. /1992.

436
20.10.92

माननीय राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर, कैम्प इंदौर के समक्ष.

R- 227-I/92

नंदलाल पिता चुन्नीलाल महाजन,
आयु करीब 51 वर्ष, धंधा नौकरी,
ठिकाना ग्राम राजपुर, तहसील राजपुर,
जिला पश्चिमी निमाड़, बड़वानी. .... आवेदक.

§मूल प्रार्थी§

विरूद्ध

बुलाशा पिता चुन्नीलाल महाजन,
आयु करीब 66 वर्ष, धंधा व्यापार,
ठिकाना ग्राम उड़यनगर, तहसील बागली,
जिला देवास, म.प्र. .... अनावेदक.

§मूल विपक्षी§

प्रकरण विषय :-

धारा 109/110 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत.

सहपठित धारा 168, 170 कृषि भूमि पर नामांतरण चाहने बाबद ।

पुनरीक्षण आवेदन पत्र धारा 50 म.प्र. भूराजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत ।

माननीय तहसीलदार सा. तहसील राजपुर ने राजस्व प्रकरण क्रमांक 21 अ/6/82-83 में दि. 6.3.84 को पारित आदेश के विरूद्ध माननीय अनुविभागीय अधिकारी, §राजस्व§ बड़वानी के समक्ष प्रस्तुत हुई राजस्व प्रथम अपील क्रमांक 42/अ/6/83-84 में दि. 24.6.86 को पारित निर्णय एवं आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त महोदय, इंदौर संभाग, इंदौर के समक्ष प्रस्तुत हुई द्वितीय अपील प्रकरण क्र. 74/91-92 में दि. 14.8.92 को पारित निर्णय एवं आदेश से व्यथित होकर यह पुनरीक्षण आवेदन इस माननीय न्यायालय के समक्ष सादर प्रस्तुत है । प्रार्थी आवेदक का विनम्र निवेदन इस प

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ (नंदलाल / बुलाशा)

प्रकरण कमांक निगरानी 227–एक / 1992 जिला–धार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20.01.2016	प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण में आवेदक एवं अनावेदक अधिवक्ता सूचना उपरांत दिनांक 19–8–14 से लगातार अनुपस्थित हैं । प्रकरण आवेदक अधिवक्ता की उपस्थित के लिये दिनांक 20–01–2016 तक नियत होता रहा किन्तु दिनांक 19–8–14 से 20–01–16 तक न्यायहित में आवेदक अधिवक्ता की उपस्थिति का इंतजार किया जाकर व आवेदक को पर्याप्त समय मिलने के पश्चात् भी वे अनुपस्थित रहे । वहीं सुनवाई दिनांक 20–01–2016 को तीन बार पुकार लगवाई गई इसके पश्चात् भी कोई उपस्थित नहीं हुआ । उपरोक्त स्थिति से ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को इस प्रकरण को चलाने में कोई रूचि नहीं है । प्रकरण अनावश्यक रूप से वर्ष 1992 से लंबित चला आ रहा है । ऐसी स्थिति में आवेदक को प्रकरण को चलाने में कोई रूचि न होने के कारण प्रकरण को इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस हो । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । अध्यक्ष	